राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2427/2012/भीलवाड़ा

मेसर्स राकेश एण्ड मुकेश बिल्डर्स, भीलवाड़ा। ...अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा। ......प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.पी.शर्मा,
अधिवक्ता। ....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। ......प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :08.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स),भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.09.2012 के विरूद्व पेश की गयी है, जो अपील संख्या–119/वेट/2011–12 के सम्बन्ध मे हैं तथा जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.10.2011 जो निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित किया गया है में रू.19,96,094/– में से 30 प्रतिशत मजदूरी राशि अर्थात् मजदूरी राशि को कम किये बिना सम्पूर्ण राशि कर मुक्ति निर्धारित कर अतरिक्त कर मुक्ति शुल्क रू.29,941/–, कर रू.1,05,684/– का आगत कर का समायोजन नहीं देने व कर रू.5,465/– वैट–39 पर जमा राशि का समायोजन नहीं दिये जाने की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2009–10 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत् दिनांक 20.10.2011 को पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी आलोच्य अवधि में संविदा कार्य से प्राप्त कुल राशिमें से 30 प्रतिशत मजदूरी राशि को कम किये बिना सम्पूर्ण राशि कर मुक्ति निर्धारित कर रू. 29,941/–निर्धारित किया गया। इसी प्रकार प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर रू.1,05,684/– का समायोजन नहीं देने व रू.5,465/– वैट–39 का समायोजन नहीं देकर मांग राशियां कायम कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के

लगातार.........2

समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार ने धारा 15 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या **F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006** जारी की है जिसमें संविदा कार्य में प्रयुक्त माल को कर मुक्त करते हुये कार्य संविदा की प्रकृति के मद्देनजर, मुक्ति शुल्क निर्धारित किया है । अग्रिम कथन किया कि संविदा कार्य में निष्पादित माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्चे जिन पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर देयता नहीं बनने के कारण, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी उक्त अधिसूचना के आलोक में 30 प्रतिशत खर्चों पर कर मुक्ति शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता । अपने कथन के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1999) 114 एस.टी.सी. 265 को संदर्भित कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को इस बिन्दु पर पुष्टि करने को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये एवं कार्य संविदा में प्रयुक्त वस्तुओं पर चाहे गये आगत कर के समायोजन को अविधिक होना प्रकट किया गया। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 2212/10 दिनांक 18.08.2011 तथा अपील संख्या 1282/2011 को प्रोद्धरित किया गया।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर विभागीय ठेकेदार को वैट 39 के द्वारा चुकाई गई कर राशि के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रतिट्रिप के अनुसार विभाग द्वारा स्थापित जांच चौकी पर संबंधित ठेकेदार को जरिये रसीद के कर का भुगतान किया गया है परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त भुगतान किये गये कर की राशि का समायोजन देना अस्वीकार किया है जो कि विधिसम्मत एवन् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट–39 की समस्त रसीदें प्रस्तुत कर दी गयी थीं परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचन किये बिना ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अधिनियम की धारा 4 व धारा 8 की उप–धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर इस संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुये राज्य सरकार ने यह राय होने पर कि

लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन होगा इसके अधीन संलग्न सूची के स्तम्भ संख्या–2 में उल्लेखित माल, जो यान या वाहन के माध्यम से लाया गया हो,के विक्रय या क्रय पर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन संदेय कर से किसी व्यवहारी को इसके द्वारा इस शर्त पर छूट दी है कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति ऐसे माल के संबंध में यथा– विनिर्दिष्ठ इसके स्तम्भ संख्या–3 में प्रत्येक के सामने यथा– उल्लेखित छूट फीस का संदाय कर देता हो। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुये कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रतिफेरे से कर का भुगतान जरिये रसीद वैट 39 के कर दिया गया है जिसके बावजूद प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा नियुक्त किये गये ठेकेदार द्वारा रेत व पत्थर पर वसूल किये गये कर का समायोजन नहीं दिया है, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट–39 के जरिये विभागीय ठेकेदार को कर का भुगतान कर दिया गया है उक्त राशि का प्रतिदाय प्रदान करने की प्रार्थना कर, उक्त बिन्दु पर भी पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। अपने उक्त तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 2212 / 2010 / सिरोही निर्णय दिनांक 18.08.2011 को प्रोद्धरित किया गया।

7. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील उक्त बिन्दु पर अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत मैसर्स ग्राउन्डर एण्ड कं० बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य (1999) 114 एस.टी.सी. 265 का ससम्मान अध्ययन कर विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006** में जिन कार्य संविदाओं का उल्लेख सूची में किया जाकर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क जो विहित किया गया है, वह कुल कार्य संविदा मूल्य **(Total value of work contract)** पर है जबकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित बिन्दु कर्नाटक राज्य के विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 17(6) के प्रावधान जो दिनांक 01.04.1996 से पूर्व में विद्यमान थे, का निर्वचन था, जिसमें सकल पण्यावर्त, जो कार्य संविदा निष्पादन के दौरान के वस्तुओं या अन्य रूप में माल सम्पति के रूप में अन्तरित हुयी हो,

का उल्लेख था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर उद्धरित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में विशेष रूप से कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचित की गयी है। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 का मूल पठन इस प्रकार है:–

S.No 2130 : F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006

In exercise of the powers conferred by section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

1. That in case of works contracts,

(i) awarded on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and

(ii) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 shall apply for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006, in form WT-2.

2. That application shall be submitted [within 60 days] from the date of award of the contract or the date of issue of this notification, whichever is later,

3. That in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a later fee of rupees one thousand for a year or part thereof. [However, delay in case of second year or part thereof can be condoned on payment of a late fee of rupees five thousand and no application shall be entertained after expiry of two year from the date of award of the contracts]

4. That on receipt of the application under clause (1), the assessing authority on being satisfied as to the correctness of the facts mentioned therein, shall issue exemption certificate in form WT-3 apended hereto, in the case of works contracts awarded on or after 1.4.2006 and in form WT-4 appended hereto, in the case of work contracts, where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 for exemption, for the remaining part of the contract as on 01.04.2006. A copy thereof, shall be sent to the awarder.

5.That such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner:-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest

so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

(i) Where an awarder is a Department of any Government a Corporation, a public undertaking a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no. 3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to made in any manner to such contractor and all the provisioins of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for works contractors shall mutatis mutandis apply. It case the contractor has laredy received some payments for execution of works contact from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filing of application, under this notification;

(ii) Where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be requied to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contact from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payments, along with interest up to the date of filling of application, under this notification;

(iii) The amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to thed dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

(6) that the contractor shal not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted ;

(7) that the certificate of exemption shal be liable to be cancelled by the assessing authority retrospectively if it is found that the same has been issued under contravention of the provisions of the Act, rules or notification; and

(8) that the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited, to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

LIST

S.No.	Description of Works Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1.	Works Contract relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
2.	Works Contract relating to Installation of plants & Machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
3.	Any other kind of works contract not covered by S.No. 2 & 3.	3.00%

9. अतः ऐसी स्थिति में, उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की मदद नहीं करता। लिहाजा, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में विवादित बिन्दु की पुष्टि करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर जमा कराई राशि जिसके संबंध में उसने वैट 07 भी प्रस्तुत किया है, अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों को आगत कर का समायोजन प्रतिबंधित है।

11. जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवम् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है । उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत् जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 12(63)एफडी/टैक्स/2005–86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तद्संबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरुद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवम् न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस

लगातार..............7

प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

12. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय प्रसारित किया गया।

8-9-2014

(मदन लाल)

सदस्य